

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 2862 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, अप्रैल 18 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

अमरोहा-कांठ मार्ग (M.D.R-150) किमी० 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।
आपकी पत्र संख्या 2892/अमरोहा/25152/2017, दिनांक 11.04.2018

संदर्भ :-
महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या-2574/14-1, दिनांक 12-04-2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख निम्न प्रकार प्रेषित किये हैं।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त अनुपालन आख्या/अभिलेखों की 3-3 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

Obse No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1-	The reply of queries raised vide this office letter dt. 21-07-2017, in Sr. No. 8 where chainage wise requirement of width and balance PF has not been provided.	प्रस्तावित स्थल अमरोहा-कांठ मार्ग पर कि०मी० 21.840 से कि०मी० 26.540 तक चैनेजवाइज कुल उपलब्ध संरक्षित वनभूमि, नाला निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि, एवं अवशेष वनभूमि का विवरण 03प्रतियों में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। इससे संबंधित मानचित्र प्रेषित प्रस्ताव के पेज सं०- 79 व 81 पर संलग्न है।
2-	The proposal involves violation of 0.5 ha. reported by the concerned DFO. This issue requires submission of self contained note from State Government for initiation of action under 3B of FCA 1980.	इस बिन्दु के कम में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अवगत कराना है, कि दिनांक 11.06.2015 को इस परियोजना के प्रयोक्ता अभिकरण सी०एण्डडी०एस०, यूनिट, -18, उ०प्र० जल निगम, मुरादाबाद के मौ० फुरकान, सोनू इमरान खां, श्री एस.एम. सिद्दीकी परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्डडी०एस० व श्री ए०के०सिसौदिया अभियन्ता के विरुद्ध बिना अनुमति के अमरोहा-कांठ रोड की संरक्षित वन पट्टी पर नाला निर्माण हेतु खुदाई किये जाने के वन अपराध के कम में भा०वन अधिनियम 1927 की धारा-33 के तहत वन अपराध संख्या 3/2015-16 जारी किया गया था। उक्त कम में अभियुक्तगणों की ओर से विभागीय फैसला चाहने का अनुरोध किये जाने पर उनसे बतौर मुआवजा रू० 1.00 लाख (रू० एक लाख मात्र) ई-3 सं० 331/14 दिनांक 31.07.2015 से वसूल कर लिया गया था। उक्त से स्पष्ट है, कि प्रकरण में विधिक कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरण में गैर वानिकी कार्य में प्रभावित होने वाली वनभूमि के कम में विहित प्रक्रिया के तहत क्षतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित किये जाने के साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण पर 3.40 हे० दण्डात्मक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित किया गया है। अतः इस बिन्दु के कम में इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोपरि 3 प्रतियां मूल में।

भवदीय,

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14-1 उक्तदिनांकित


प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्रांक-2574/14-1, दिनांक 12-04-2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

अमरोहा कांट मार्ग (एम0डी0आर-150) कि0मी0 21.840 से 26.540 तक सी0एण्ड डी0एस द्वारा बनाये जा रहे नाले निर्माण हेतु चैनैज वाइज विवरण व अवशेष संरक्षित भूमि का विवरण

क्र0स0	चैनैज	पटरी की कुल चौड़ाई (मी0 में)	कुल उपलब्ध संरक्षित वनभूमि (हे0 में)	नाला निर्माण हेतु प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि (हे0 में)	अवशेष संरक्षित वनभूमि (हे0 में)
1	21.840-21.940	6.60	0.066	0.0360	0.0300
2	21.940-22.040	6.80	0.068	0.0360	0.0320
3	22.040-22.140	7.10	0.071	0.0360	0.0350
4	22.140-22.240	7.10	0.071	0.0360	0.0350
5	22.240-22.340	7.10	0.071	0.0360	0.0350
6	22.340-22.440	7.10	0.071	0.0360	0.0350
7	22.440-22.540	7.10	0.071	0.0360	0.0350
8	22.540-22.640	7.10	0.071	0.0360	0.0350
9	22.640-22.740	7.10	0.071	0.0360	0.0350
10	22.740-22.840	7.10	0.071	0.0360	0.0350
11	22.840-22.940	7.10	0.071	0.0360	0.0350
12	22.940-23.040	7.10	0.071	0.0360	0.0350
13	23.040-23.140	7.60	0.076	0.0360	0.0400
14	23.140-23.240	8.10	0.081	0.0360	0.0450
15	23.240-23.340	8.60	0.086	0.0360	0.0500
16	23.340-23.440	9.10	0.091	0.0360	0.0550
17	23.440-23.540	9.10	0.091	0.0360	0.0550
18	23.540-23.640	9.10	0.091	0.0360	0.0550
19	23.640-23.740	9.10	0.091	0.0360	0.0550
20	23.740-23.840	9.10	0.091	0.0360	0.0550
21	23.840-23.940	9.10	0.091	0.0360	0.0550
22	23.940-24.040	11.60	0.116	0.0360	0.0800
23	24.040-24.140	12.30	0.123	0.0360	0.0870
24	24.140-24.240	13.10	0.131	0.0360	0.0950
25	24.240-24.340	11.10	0.111	0.0360	0.0750
26	24.340-24.440	9.10	0.091	0.0360	0.0550
27	24.440-24.540	9.10	0.091	0.0360	0.0550
28	24.540-24.640	10.60	0.106	0.0360	0.0700
29	24.640-24.740	13.30	0.133	0.0360	0.0970
30	24.740-24.840	15.60	0.156	0.0360	0.1200
31	24.840-24.940	16.80	0.168	0.0360	0.1320
32	24.940-25.040	17.90	0.179	0.0360	0.1430
33	25.040-25.140	19.10	0.191	0.0360	0.1550
34	25.140-25.240	19.10	0.191	0.0360	0.1550
35	25.240-25.340	19.10	0.191	0.0360	0.1550
36	25.340-25.440	19.10	0.191	0.0360	0.1550
37	25.440-25.540	19.10	0.191	0.0360	0.1550
38	25.540-25.640	19.10	0.191	0.0360	0.1550
39	25.640-25.740	19.10	0.191	0.0360	0.1550
40	25.740-25.840	17.10	0.171	0.0360	0.1350
41	25.840-25.940	16.10	0.161	0.0360	0.1250
42	25.940-26.040	13.10	0.131	0.0360	0.0950
43	26.040-26.140	13.10	0.131	0.0360	0.0950
44	26.140-26.240	13.10	0.131	0.0360	0.0950
45	26.240-26.340	13.10	0.131	0.0360	0.0950
46	26.340-26.440	13.10	0.131	0.0360	0.0950
47	26.440-26.540	13.10	0.131	0.0360	0.0950
		T0tal	5.493	1.6920	3.801


क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा


प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा